न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।
सत्र वाद संख्या– 1278/2024
सरकार बनाम उमरदीन आदि।
अंतर्गत धारा– 115(2), 333, 351(2) भा०न्या०सं०
व 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट।
मु०अ०सं० 542/2024
थाना– कपूरपुर, जिला– हापुड़।

<u>आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)</u>

<u>दिनांकः– 05.07.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। अभियुक्तगण **उमरदीन, मुस्तकीम, श्रीमती तरन्नुम व रिहान** जेरे जमानत उपस्थित।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण **उमरदीन, मुस्तकीम, श्रीमती तरन्नुम व रिहान** के विरुद्ध भा०न्या०सं० की धारा 115(2), 333, 351(2) एवं एस०सी०/एस०टी० एक्ट की धारा 3(2)(va) के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दिनांक 30.07.2025 को पेश हो।

दिनांकः– 05.07.2025

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
हापुड़।

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2025.07.08 16:57:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।
सत्र वाद संख्या– 1278/2024
सरकार बनाम उमरदीन आदि।
अंतर्गत धारा– 115(2), 333, 351(2) भा०न्या०सं०
व 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट।
मु०अ०सं० 542/2024
थाना– कपूरपुर, जिला– हापुड़।

<u>आरोप</u>

मैं, हनी गोयल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण **उमरदीन, मुस्तकीम, श्रीमती तरन्नुम व रिहान** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं–

<u>प्रथम</u>– यह कि दिनांक 12.10.2024 को समय करीब 05.00 बजे शाम, बस्थान ग्राम हिम्मतनगर, थाना पिलखुवा, जिला हापुड़ में आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के साथ मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 115(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

<u>द्वितीय</u>– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने गलत आशय से वादी मुकदमा के घर में घुसकर गृह अतिचार किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 333 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

<u>तृतीय</u>– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०न्या०सं० की धारा 351(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

<u>चतुर्थ</u>– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा, जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, के घर में घुसकर गृह अतिचार किया, वादी पक्ष के साथ लात मारपीट कर साधारण उपहति कारित की, उसे अपमानित करने के आशय से गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया, अवमानित करने के आशय से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य एस०सी०/एस०टी० एक्ट की धारा 3(2)(va) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांकः– 05.07.2025

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करता हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः– 05.07.2025

(हनी गोयल)
(J.O. CODE–UP02408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।